भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 31/2015–2020
दिनांक 8 सितम्बर, 2022

विषयः एचएस कोड 1006 40 00 के तहत टूटे हुए चावल की निर्यात नीति में संशोधन।

सा.आ.(अ): केन्द्र सरकार विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), निर्यात नीति की अनुसूची–2 के अध्याय 10 के आईटीसी (एचएस) कोड 1006 40 00 के तहत टूटे हुए चावल की निर्यात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है;

आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	निर्यात नीति	संशोधित निर्यात नीति
1006 40 00	केवल टूटे चावल के लिए	मुक्त	निषिद्ध

2. अधिसूचना 9 सितम्बर, 2022 से लागू होगी। परिवर्ती व्यवस्था के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.05 के यथा अधीन प्रावधान एचएस कोड 1006 40 00 के तहत टूटे हुए चावल के निर्यात के लिए इस अधिसूचना के तहत लागू नहीं होंगे। 9 सितम्बर, 2022 से 15 सितम्बर, 2022 तक की अवधि के दौरान टूटे हुए चावल की निम्नलिखित खेपों को निर्यात किए जाने की अनुमति होगीः

i. जहां टूटे हुए चावल को पोत पर लादने का कार्य इस अधिसूचना के पहले शुरु हो गया है;

ii. जहां इस अधिसूचना से पहले शिपिंग बिल फाइल कर दिया गया है और भारतीय पत्तनों पर पोत की बर्थिंग हो चुकी है या वह पहुंच चुका है और लंगर डाल चुका है और उनका रोटेशन नम्बर आवंटित किया जा चुका है और ऐसे पोतो में लदान का अनुमोदन इस अधिसूचना से पहले टूटे हुए चावल के लदान के लिए पोत के लंगर डालने/बर्थिंग के संबंध में संबंधित पत्तन प्राधिकारियों द्वारा पुष्टि के बाद ही जारी किया जाएगा।

iii. जहां टूटे हुए चावल की खेप इस अधिसूचना से पहले सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सौंपी जा चुकी है और उनकी प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है।

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

एचएस कोड 1006 40 00 के तहत टूटे हुए चावल की निर्यात नीति 'मुक्त' से संशोधित कर निषिद्ध की गई है। अधिसूचना 9 सितम्बर 2022 से लागू होगी। परिवर्ती व्यवस्था के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.05 के यथा अधीन प्रावधान इस अधिसूचना के तहत लागू नहीं होंगे।

संतोष कुमार सारंगी
(संतोष कुमार सारंगी) 8.9.2022
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/171/35/एएम–20/ई–फाइल/पार्ट–I/ई–19680 से जारी)